अनुबंध I

[16 अप्रैल 2014 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 123 का अनुबंध]

भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा सीमित देयता भागीदारी फर्म (LLP) में पूंजी अंशदान अथवा शेयर के लाभार्जन/अंतरण के लिए योजना

यह योजना सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत गठित और पंजीकृत सीमित देयता भागीदारी फर्म (LLP) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI-LLP) की योजना कहलायेगी ।

1. पात्र निवेशक :

भारत से बाहर का कोई निवासी कोई व्यक्ति अथवा भारत से बाहर निगमित कोई एंटीटी एलएलपी में एफडीआय के प्रयोजन के लिए पात्र निवेशक होगा/होगी। हालांकि, निम्नलिखित एलएलपी में निवेश के लिए पात्र नहीं होंगे :

(i) पाकिस्तान और बांग्लादेश का नागरिक/एंटीटी अथवा

(ii) सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक अथवा

(iii) सेबी के पास पंजीकृत विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक अथवा

(iv) सेबी के पास पंजीकृत अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक अथवा

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियमावली, 2014 के अनुसार पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ।

2. विदेशी निवेश स्वीकारने के लिये एलएलपी की पात्रता

(i) एलएलपी, मौजूदा अथवा नयी, जो उन क्षेत्रों में परिचालन करती है / गतिविधियों में संलग्न है जहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगी। ऐसे क्षेत्रों का सुनिश्चय करने के लिए, समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का अनुबंध 'बी' देखें ।

(ii) निम्नलिखित क्षेत्रों / गतिविधियों में संलग्न एलएलपी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वीकारने के लिए पात्र नहीं होंगी:

ए) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वीकारने के लिए पात्र क्षेत्र किंतु जो एफडीआय से संबद्ध् निष्पादन संबंधी शर्तों के तहत हैं (उदाहरण के लिए: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों अथवा टाउनशिप के विकास, आवास (हाउसिंग),

इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और कन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिये, यथा लागू, न्यूनतम पूंजीकरण मानक); अथवा

बी) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% से कम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वीकारने के लिए पात्र क्षेत्र; अथवा

सी) सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वीकारने के लिए पात्र क्षेत्र; अथवा

डी) कृषि/प्लांटेशन गतिविधि और प्रिंट मिडिया; अथवा

ई) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वीकारने के लिए अपात्र क्षेत्र अर्थात मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अंतर्गत निषिद्ध किसी क्षेत्र (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/ 2000-आरबी की अनुसूची 1 का संलग्नक 'ए') के साथ-साथ समय-समय पर यथासंशोधित (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.1/2000-आरबी के विनियम 4(बी) के अनुसार निषिद्ध क्षेत्र/गतिविधियां ।

3. पात्र निवेश

किसी एलएलपी की पूंजी में अंशदान इस योजना के अंतर्गत पात्र निवेश होगा ।
नोट: 'लाभ की भागीदारी' के द्वारा निवेश अर्जन पुनर्निवेश की श्रेणी में आयेगा ।

4. प्रवेश मार्ग

किसी एलएलपी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सरकारी / विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी ।

किसी एलएलपी में किसी भी रूप में विदेशी निवेश, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, के लिए सरकारी/विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन की अपेक्षा होगी (भले ही भारतीय कंपनी के 'स्वामित्व' अथवा 'नियंत्रण' का स्वरूप कैसा भी क्यों न हो) ।

5. कीमत निर्धारण

पूंजी में अंशदान अथवा शेयरों के लाभार्जन के अंतरण के मार्फत एलएलपी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु कीमत निर्धारण किसी अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार की गयी प्रणाली/ बाज़ार व्यवहार के अनुसार स्वीकृत मूल्यांकन मानकों के अनुसार आकलित उचित मूल्य से अधिक अथवा समान होगा (इसके बाद किसी एलएलपी के पूंजी अंशदान/शेयर के लाभ के उचित मूल्य के रूप में उल्लिखित) और इस आशय का प्रमाणपत्र किसी सनदी

लेखाकार अथवा पेशेवर कॉस्ट एकाउंटेंट अथवा केंद्र सरकार के पैनल के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता द्वारा जारी किया जाएगा।

किसी निवासी से किसी अनिवासी को पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ के अंतरण के मामले में, एलएलपी के पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ के लिए प्रतिफल 'उचित मूल्य' के समान अथवा उससे अधिक होगा। इसके अलावा, किसी अनिवासी से किसी निवासी को पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ के अंतरण हेतु प्रतिफल एलएलपी के पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ के उचित मूल्य से कम अथवा समान होगा।

6. किसी पात्र निवेशक के लिये भुगतान का तरीका

किसी पात्र निवेशक द्वारा एलएलपी के पूंजी अंशदान के लिये भुगतान की अनुमति केवल नकद रूप में प्राप्त प्रतिफल के रूप में होगी -

i) सामान्य बैंकिंग चैनल से आवक विप्रेषण के रूप में ; अथवा
ii) किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के पास रखे संबंधित व्यक्ति के एनआरई/ एफसीएनआर (बी) खाते को नामे करके।

7. रिपोर्टिंग

(i) एलएलपी पूंजी में अंशदान और शेयर-लाभों हेतु प्राप्त प्रतिफल राशि का ब्योरा, अनुबंध II में दिए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एलएलपी (I) फार्म में, एफआयआरसी की प्रति/प्रतियों के साथ, जिसमें विप्रेषण की प्राप्ति का साक्ष्य हो, अनिवासी निवेशक के संबंध में केवायसी रिपोर्ट, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के मार्फत, अनुबंध IV में और कीमत निर्धारण के संबंध में मूल्यन प्रमाणपत्र (उपर्युक्त पैराग्राफ 5 के अनुसार) सहित, प्रतिफल राशि की प्राप्ति की तारीख से यथाशीघ्र किंतु 30 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को रिपोर्ट किए जाएंगे। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रिपोर्ट की पावती दी जाएगी जो रिपोर्ट की गयी राशि के लिये यूआयएन आबंटित करेगा।
(ii) भारत में विप्रेषण प्राप्त करने वाला प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक राशि विप्रेषित करने वाले विदेशी निवेशक के संबंध में केवायसी उसके समुद्रपारीय बैंक से प्राप्त करे।
(iii) किसी निवासी और किसी अनिवासी के बीच (अथवा विपर्यय) पूंजी में अंशदान अथवा शेयर-लाभ के विनिवेश/अंतरण के संबंध में निधियों की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर, उन्हें, अनुबंध III में दिए गए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एलएलपी (II) फार्म में रिपोर्ट किए जाएंगे ।

8. डाउनस्ट्रीम निवेश

ए) विदेशी निवेश (ऐसे विदेशी निवेश के प्रतिशत पर विचार किये बिना चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष) वाली किसी भारतीय कंपनी को एलएलपी में डाउनस्ट्रीम निवेश करने की अनुमति तभी होगी जब दोनों अर्थात कंपनी और एलएलपी ऐसे क्षेत्र में परिचालन कर रही हों जहां 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमत हो और एफडीआय संबद्ध निष्पादन की शर्तें न हो। कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पंजीकृत भारतीय कंपनी से निवेश स्वीकार करने वाली एलएलपी का यह दायित्व होगा कि वह डाउनस्ट्रीम अपेक्षा से संबंधित, यथा लागू, अनुपालन सुनिश्चित करे।

बी) इस योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कोई एलएलपी भारत में किसी भी एंटीटी में डाउनस्ट्रीम निवेश करने के लिए पात्र नहीं होगी।

9. अन्य शर्तें

i) यदि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता किसी एलएलपी का नामित भागीदार कोई कंपनी निकाय है अथवा सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 7 के उपबंधों के अनुसार नामित पार्टनर के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित किया गया है तो ऐसा कंपनी निकाय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत यथालागू भारत में पंजीकृत कोई कंपनी ही हो सकती है और कोई अन्य निकाय नहीं, जैसे कि कोई अन्य एलएलपी अथवा ट्रस्ट । ऐसी एलएलपी के लिए नामित पार्टनर सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 7(1) के स्पष्टीकरण के अंतर्गत यथापरिभाषित 'भारत में निवासी व्यक्ति' की अपेक्षा को पूरा करता हो जैसाकि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 (v)(i) में विनिर्दिष्ट है।

ii) नामित पार्टनर उल्लिखित सभी शर्तों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा/होंगे और एलएलपी द्वारा किए गए किसी उल्लंघन, यदि कोई हो, के लिए लगाए जाने वाले दण्ड का/के भी भागी होगा/होंगे।

iii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली किसी कंपनी के किसी एलएलपी में परिवर्तित होने की अनुमति तभी दी जाएगी जब उक्त विनिर्देशन (भुगतान के स्वरूप संबंधी विनिर्देशन के अलावा) पूरे होते हों और तत्संबंध में एफआयपीबी / सरकार का पूर्वानुमोदन भी हो।

iv) एलएलपी को ईसीबी लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

अनुबंध II

[16 अप्रैल 2014 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 123 का अनुबंध]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एलएलपी (I) फार्म

इस योजना के अंतर्गत पूंजी में अंशदान और लाभ-शेयरों के अर्जन/अंतरण के लिए एलएलपी द्वारा प्रतिफल राशि की प्राप्ति के संबंध में रिपोर्ट

(एलएलपी द्वारा प्रतिफल राशि की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसकी घोषणा करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के पास, जिसके क्षेत्राधिकार में घोषणा करने वाली एलएलपी स्थित है, फाइल किया जाए।)

आयकर विभाग द्वारा निवेशिती (investee) एलएलपी को आबंटित स्थायी खाता सं (पैन)	

सं.	ब्योरे	(स्पष्ट अक्षरों में)
1.	एलएलपी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता राज्य फैक्स नं. टेलीफोन नं. ई-मेल	
	एलएलपी के रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा दी गयी पहचान सं. पंजीकरण की तारीख	

	क्या मौजूदा एलएलपी है अथवा नई एलएलपी है	मौजूदा एलएलपी/ नई एलएलपी (जो लागू न हो उसे काट दें)	
	मौजूदा एलएलपी के मामले में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित पंजीकरण सं., अगर कोई हो तो, दें।		
2.	**विदेशी निवेशक के ब्योरे**		
	नाम		
	नामित पार्टनर की पहचान सं.		
	पता		
	देश		
	निवेशकर्ता एंटीटी का गठन/स्वरूप		
	उल्लेख करें कि 1. व्यक्ति 2. एलएलपी 3. कंपनी 4. विदेशी ट्रस्ट 5. प्रायवेट ईक्विटी फंड 6. पेंशन/ प्राविडंट फंड 7. सरकारी धनसंपदा निधियां[1] 8. साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म 9. वित्तीय संस्था 10. अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल का व्यक्ति 11. अन्य (कृपया उल्लेख करें) है।		
3	निधियों की प्राप्ति की तारीख		
4.	राशि	विदेशी मुद्रा में	भारतीय रुपये में

[1] सरकारी धन निधि का अर्थ है सरकारी निवेश संस्था, जिसका निधीयन विदेशी मुद्रागत परिसंपत्तियों द्वारा किया जाता हो और जो मौद्रिक प्राधिकरणों की शासकीय रिज़र्व निधियों से अलग उन परिसंपत्तियों का प्रबंध करता हो।

5	एलएलपी की गतिविधि		
	i)	मुख्य कारोबारी गतिविधि का ब्योरा एनआयसी कोड	
	ii)	यह पुष्टि की जाती है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है जिसके साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी निष्पादन शर्त नहीं है।	हां।/नहीं
	iii)	सरकारी अनुमोदन का ब्योरा [अनुमोदन पत्र की सं. और तारीख]	
6	प्राधिकृत व्यापारी बैंक का नाम जिसके मार्फत विप्रेषण प्राप्त हुआ ।		
7	प्राधिकृत व्यापारी बैंक का पता		

नोट: सरकारी अनुमोदन, केवायसी, पूंजी में अंशदान और लाभ-शेयरों के अर्जन/अंतरण के लिए एफआयआरसी जिसमें प्रतिफल राशि की प्राप्ति का साक्ष्य हो और सनदी लेखाकार/ कास्ट एकाउंटेंट/केंद्र सरकार द्वारा तैयार पैनल के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

निवेश प्राप्तकर्ता एलएलपी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर (मुहर)	प्राधिकृत व्यापारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर (मुहर)

केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए:

प्राप्त विप्रेषण के लिए यूआईएन | | | | | | | | | | | | | | |

एलएलपी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा फाइल की जानेवाली घोषणा :

(जो लागू न हो उसे काट कर हस्ताक्षर करके प्रमाणित करें)

हम एतदद्वारा घोषित करते हैं कि :

1. हम, समय-समय पर यथासंशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी में दर्शाए अनुसार पूंजी में अंशदान और शेयर-लाभ के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं।
2. एफआयपीबी के दिनांक ..... के अनुमोदन सं. ..... के अनुसार पूंजी अंशदान/ शेयर लाभ के लिए अनिवासी निवेशक को लिखत जारी किये गये हैं ।
3. हम 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी के अनुपालन में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं।

(i) हमारे नामित पार्टनर द्वारा यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाणपत्र कि:

(ए) एलएलपी अधिनियम, 2008 की सभी अपेक्षाएं पूरी कर ली गयी हैं;

(बी) सरकारी अनुमोदन की शर्तों का अनुपालन कर लिया गया है;

(सी) एलएलपी इन विनियमों के तहत पूंजी अंशदान और शेयर लाभ जारी करने की पात्र है और

(डी) 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी के अनुसार प्रतिफल राशि की प्राप्ति के सबूत के तौर पर भारत में प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा जारी सभी मूल प्रमाणपत्र एलएलपी के पास मौजूद हैं।

(ii) भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति को जारी पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ की उचित कीमत नियत करने के तरीके का उल्लेख करते हुए सनदी लेखाकार/ कास्ट एकाउंटंट/ केंद्र सरकार द्वारा पैनल के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त प्रमाणपत्र ।

4 प्राप्त और यहां रिपोर्ट किये गये विदेशी निवेश का उपयोग धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और गैर कानूनी गतिविधि (निरोध) अधिनियम, 1967 के उपबंधों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा । हम पुष्टि करते हैं कि निवेश सभी लागू नियमावलियों और विनियमावलियों के उपबंधों का अनुपालन करता है ।

5. पूंजी अंशदान और शेयर-लाभ के अर्जन के लिए अब तक प्रतिफलस्वरूप प्राप्त विप्रेषणों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी यूआई नंबर ।

आर														

आर														

(आवेदक के हस्ताक्षर)* : _____

(नाम स्पष्ट अक्षरों में) :

(हस्ताक्षरी का पदनाम) :

स्थान :

दिनांकः

(*नामित पार्टनर/एलएलपी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो)

निवेश स्वीकार करनेवाली एलएलपी के नामित पार्टनर/
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा फाइल किया जानेवाला प्रमाणपत्र :

उपर्युक्त ब्योरों के संबंध में हम निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं :

1. एलएलपी अधिनियम, 2008 की सभी अपेक्षाओं को पूरा किया गया है।

2. सरकारी अनुमोदन की शर्तें, यदि कोई हों, का अनुपालन किया गया है।

3. इन विनियमों के अधीन पूंजी अंशदान/ शेयर-लाभ जारी करने के लिए एलएलपी पात्र है।

4. एलएलपी के पास सभी मूल प्रमाणपत्र मौज़ूद हैं जो भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों द्वारा जारी किए गए हैं, और जो 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी के अनुसार प्रतिफल राशि की प्राप्ति के सबूत हैं।

(एलएलपी के नामित पार्टनर/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर)(मुहर)

केवल भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ

विदेशी निवेश-एलएलपी के लिए पंजीकरण नंबर:										

विप्रेषण की प्राप्ति की रिपोर्टिंग के समय कंपनी को आबंटित यूआईएन	**R**									

अनुबंध III

[16 अप्रैल 2014 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 123 का अनुबंध]

फार्म एफडीआय/एलएलपी (II)

एलएलपी के पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ के निवासी से अनिवासी को / अनिवासी से निवासी को अंतरण के संबंध में घोषणापत्र

(निधियों की प्राप्ति से 60 दिन के भीतर, 4 प्रतियों में, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक की शाखा को प्रस्तुत किया जाए)

निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं :

भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा एलएलपी के पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ के अंतरण के लिए-

I. बिक्रेता और क्रेता अथवा उनके विधिवत नियुक्त एजेंट द्वारा विविधत हस्ताक्षरित सहमतिपत्र और दूसरे (latter) मामले में हलफनामा संलग्न किया जाए ।

II. भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा पूंजी अंशदान/ शेयर-लाभ के अर्जन के बाद इनवेस्टी एलएलपी द्वारा पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ होल्डिंग का पैटर्न ।

III. सनदी लेखाकार/कास्ट एकांउटंट/केद्र सरकार के पैनल के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता द्वारा शेयरों के उचित मूल्य के संबंध में प्रमाणपत्र ।

IV. क्रेता द्वारा इस आशय का घोषणापत्र कि वह पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ अर्जित करने के लिए पात्र है अर्थात क्रेता अथवा विक्रेता द्वारा आवश्यक सरकारी अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है और सरकारी अनुमोदन की शर्तों को पूरा कर लिया गया है, उनमें वर्णित विदेशी निवेश सीमाओं के साथ-साथ कीमत निर्धारण संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है ।

    भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ के संबंध में अतिरिक्त दस्तावेज ।

V. आयकर प्राधिकारी/सनदी लेखाकार/कास्ट एकाउंटंट/पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा कर बेबाकी प्रमाणपत्र ।

1	**एलएलपी का नाम** पता (ई-मेल, टेलीफोन नं., फैक्स नं. सहित)	
	गतिविधि पहचान सं.(एलएलपीआइएन)	

2	**लेन-देन का स्वरूप** (जो लागू न हो, उसे काट दें)	निवासी से अनिवासी को अंतरण/ अनिवासी से निवासी को अंतरण
3	**क्रेता का नाम**	
	निवेशक एंटीटी का गठन/स्वरूप उल्लेख करें कि 1. व्यक्ति 2. एलएलपी 3. कंपनी 4. विदेशी ट्रस्ट 5. प्रायवेट ईक्विटी फंड 6. पेंशन/ प्राविडंट फंड 7. सरकारी धनसंपदा निधियां[2] 8. साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म 9. वित्तीय संस्था 10. अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल का व्यक्ति 11. अन्य (कृपया उल्लेख करें) है।	
	निगमन की तारीख और स्थान	
	क्रेता का पता (ई-मेल, टेलीफोन नं., फैक्स नं. सहित)	
5	**विक्रेता का नाम**	
	विनिवेशक पार्टनर का गठन/स्वरूप उल्लेख करें कि 1. व्यक्ति 2. एलएलपी 3. कंपनी 4. विदेशी ट्रस्ट	

[2] सरकारी धन निधि का अर्थ है सरकारी निवेश संस्था, जिसका निधीयन विदेशी मुद्रागत परिसंपत्तियों द्वारा किया जाता हो और जो मौद्रिक प्राधिकरणों की शासकीय रिज़र्व निधियों से अलग उन परिसंपत्तियों का प्रबंध करता हो।

	5. प्रायवेट ईक्विटी फंड 6. पेंशन/ प्राविडंट फंड 7. सरकारी धनसंपदा निधियां[3] 8. साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म 9. वित्तीय संस्था 10. अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल का व्यक्ति 11. अन्य (कृपया उल्लेख करें) है।				
	निगमन की तारीख और स्थान				
	ब्रिक्रेता का पता (ई-मेल, टेलीफोन नं., फैक्स नं. सहित)				
6	**एफआयपीबी के पूर्व अनुमोदनों का ब्योरा**				
7	**एलएलपी के अंतरित किये जानेवाले पूंजी अंशदान अथवा शेयर-लाभ से संबंधित ब्योरा**				
	लेन-देन की तारीख	पूंजी अंशदान/ शेयर-लाभ का प्रतिशत	मूल्य रुपये में	अंतरण* के लिए तय की गयी कीमत (रु)	प्रतिफल राशि रुपये में
8	एलएलपी में विदेशी निवेश		पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ		प्रतिशत
		अंतरण के पहले			
		अंतरण के बाद			
	मूल्य निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार कीमत* * मूल्यन रिपोर्ट (सनदी लेखाकार /कास्ट एकाउंटंट/केंद्र सरकार के पैनल के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र संलग्न करें)				
अंतरणकर्ता /अंतरिती द्वारा घोषणा **मैं/हम घोषित करता हूँ / करते हैं कि :**					

[3] सरकारी धन निधि का अर्थ है सरकारी निवेश संस्था, जिसका निधीयन विदेशी मुद्रागत परिसंपत्तियों द्वारा किया जाता हो और जो मौद्रिक प्राधिकरणों की शासकीय रिज़र्व निधियों से अलग उन परिसंपत्तियों का प्रबंध करता हो।

i. ऊपर दिये गये ब्योरे मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं ।
ii. भारत सरकार द्वारा जारी विदेशी निवेश नीति के अनुसार और फेमा विनियमावली के अंतर्गत यथा अधिसूचित एलएलपी के पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ का मैं/ के हम धारक था /थे ।
iii. भारत सरकार द्वारा जारी विदेशी निवेश नीति के अनुसार और फेमा विनियमावली के अंतर्गत यथा अधिसूचित एलएलपी के पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ के अर्जन के लिए मैं/हम पात्र हैं ।
iv. सरकारी अनुमोदन के अनुसार विदेशी निवेश सीमा और कीमत निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है ।

घोषणा करनेवाले या विधिवत प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर

दिनांक

नोट :

निवासी से अनिवासी को एलएलपी के पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ के अंतरण संबंधी घोषणा अनिवासी क्रेता द्वारा हस्ताक्षरित की जाए और अनिवासी से निवासी को एलएलपी के पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ के अंतरण संबंधी घोषणा अनिवासी विक्रेता द्वारा हस्ताक्षरित की जाए ।

प्राधिकृत व्यापारी बैंक शाखा द्वारा प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदनपत्र सभी प्रकार से पूर्ण है ।

लेन-देन संबंधी धनराशि की प्राप्ति / भुगतान फेमा विनियमावली/रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार है ।

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम और पदनाम

दिनांक

प्राधिकृत व्यापारी बैंक की शाखा का नाम

प्राधिकृत व्यापारी बैंक की शाखा का कोड

अनुबंध IV

[16 अप्रैल 2014 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 123 का अनुबंध]

अनिवासी निवेशक के संबंध में अपने ग्राहक को जानने (केवायसी) संबंधी फार्म

विप्रेषक/निवेशक का पंजीकृत नाम (नाम यदि निवेशक कोई व्यक्ति है)	
पंजीकरण संख्या (युआईएन*, यदि विप्रेषक कोई व्यक्ति है)	
पंजीकृत पता (स्थायी पता, यदि विप्रेषक कोई व्यक्ति है)	
विप्रेषक के बैंक का नाम	
विप्रेषक के बैंक की खाता संख्या	
विप्रेषक के साथ बैंकिंग संबंधों की अवधि	

* विप्रेषक के देश में प्रचलित विप्रेषक की सदाशयता को प्रमाणित करनेवाला पासपोर्ट नं., सामाजिक सुरक्षा नं., अथवा कोई अन्य युनिक नं.।

हम पुष्टि करते हैं कि ऊपर दी गयी सभी सूचनाएं अनिवासी निवेशक के समुद्रपारीय विप्रेषक बैंक द्वारा उपलब्ध कराने के अनुसार सत्य और सही हैं ।

(विप्रेषण प्राप्त करने वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक स्थान

मुहर